न्यायालय उपखण्डअधिकारीकेकडीजिलाअजमेर

राजस्ववाद1882/2017 (2017/01497)

1. किशनलाल पुत्र सवाईराम जाति जाट निवासी मेवदाकलां तहसील केकड़ी जिला अजमेर
   1/1 रूपा देवी पत्नि स्व0 श्री किशनलाल
   1/2 कमला देवी पुत्री स्व0 श्री किशनलाल
   1/3 रसाल देवी पुत्री स्व0 श्री किशनलाल
   समस्त जाति जाट निवासीगण मेवदाकला तहसील केकड़ी जिला अजमेर
   ---वादीगण

♠बनाम♠

1. सोदरा पत्नि रामचन्द्र
2. रामलाल पुत्र रामचन्द्र
3. ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र
4. कालू पुत्र रामचन्द्र
5. मनभर पुत्री जुवारा
6. बरजी पुत्री जुवारा
7. रामकन्या पुत्री जुवारा
   समस्त जाति जाट निवासीगण मेवदाकलां तहसील केकड़ी जिला अजमेर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर
9. उपपंजीयन अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

---प्रतिवादीगण

10. शिवजी उर्फ श्योजीराम पुत्र जगदीश
11. प्रेम पुत्री जगदीश
    समस्त जाति जाट निवासीगण मेवदाकलां तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

---प्रफोर्मा प्रतिवादीगण

वादपत्र अंतर्गत धारा53, 88,188,209 राज. काश्तकारीअधिनियम

-:: निर्णय ::-

दिनांक 24/1/2023

पत्रावली पेश हुई। वादीगण ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 ,188, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 12 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पुश्तैनी आराजीयात वाके ग्राम मेवदाकलां तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

खेवट खतोनी नया–पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
900–307	2361 2362 2363	1.00 0.01 0.91	नहरी 2 गै.मु.चाह नहरी 2
किता–3		कुल रकबा 1.92 हैक्ट	

वादी, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 12 का पारिवारिक सजरा निम्नानुसार है–

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

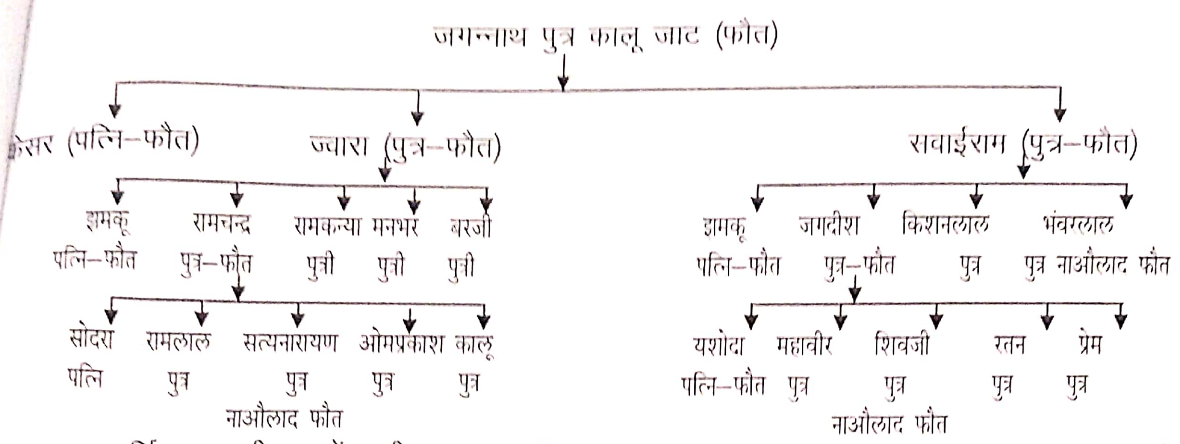

वादवर्णित आराजीयात में वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 का 1/2 तथा प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 12 का 1/4 हिस्सा है तथा इसी हिस्से अनुसार आराजीयात पर संयुक्त काबिज काश्त चले आ रहे है। वादवर्णित आराजीयात पुश्तैनी आराजीयात है तथा जगन्नाथ पुत्र कालू जाट के समय से ही उक्त आराजीयात ज्वारा पुत्र जगन्नाथ के नाम परिवार का वडा पुत्र होने के कारण दर्ज हो गई। वादग्रस्त आराजी वादी, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 12 की पैतृक सम्पत्ति है, इस प्रकार सभी को उक्त आराजीयात के लॉ बाई बर्थ के आधार पर प्रत्येक हिस्से पर समान अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 दिनांक 25.10.2017 से ही वादी को वादग्रस्त आराजीयात में उक्त वर्णित हिस्से के संयुक्त कब्जे काश्त में बाधा पंहुचाने व जबरन बैदखल करने, बैचान करने की धमकियां देने लगे। वादी द्वारा ऐसा करने से मना करने पर नही माने, जिससे यह वाद प्रस्तुत करना लाजमी आया है। अतः वादग्रस्त आराजीयात में वादी के हिस्से की भूमि को बैचान, बक्षीस, रहन, अन्तरण, हस्तान्तरण नही करने, वादी के संयुक्त कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी नही करने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने तथा वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण 10 लगायत 12 को वादपत्र में वर्णित हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर इस आशय का अंकन राजस्व रिकॉड में किया जाकर पृथक से मालगुजारी कायम किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण ने सम्मन लेने से इनकार किया तथा प्रतिवादीगण की ओर से कोई पावर व जवाब पेश नही किये जाने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। गवाह श्रीमति रूपा देवी पत्नि किशनलाल जाति जाट, श्रीमति कमला पत्नि बद्री जाति जाट के शपथ पत्र पेश किये गये जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। वादी किशनलाल पुत्र सवाईराम के फौत हो जाने से उनके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया। प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 11 अविवाहित फौत होने से उनका नाम वादपत्र में से विलोपित किये जाने का प्रार्थनापत्र पेश हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पक्षकारान की बहस पर मनन किया, वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, गवाहों के शपथपत्र का अवलोकन किया। अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा वादग्रस्त आराजी ग्राम मेवदाकलां तहसील केकड़ी के खाता संख्या नया पुराना 900–307 के खसरा संख्या 2361, 2362, 2363 किता 3 कुल रकबा 1.92 हैक्टर पर वादीगण को 1/4, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 11 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार केकडी आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद की कार्यवाही करें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात में वादी के हिस्से की भूमि को बैचान, बक्षीस, रहन, अन्तरण, हस्तान्तरण नही करने तथा ना ही वादी के संयुक्त कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करें। इस आशय का डिकरी पर्चा जारी किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और7)
उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारीः– विकास पंचोली (आर.ए.एस)
उनवान

1. किशनलाल पुत्र सवाईराम जाति जाट निवासी मेवदाकलां तहसील केकड़ी जिला अजमेर
   1/1 रूपा देवी पत्नि स्व0 श्री किशनलाल
   1/2 कमला देवी पुत्री स्व0 श्री किशनलाल
   1/3 रसाल देवी पुत्री स्व0 श्री किशनलाल
   समस्त जाति जाट निवासीगण मेवदाकला तहसील केकड़ी जिला अजमेर
   ———वादीगण

♠बनाम♠

1. सोदरा पत्नि रामचन्द्र
2. रामलाल पुत्र रामचन्द्र
3. ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र
4. कालू पुत्र रामचन्द्र
5. मनभर पुत्री जुवारा
6. बरजी पुत्री जुवारा
7. रामकन्या पुत्री जुवारा
   समस्त जाति जाट निवासीगण मेवदाकलां तहसील केकड़ी जिला अजमेर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर
9. उपपंजीयन अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

———प्रतिवादीगण

10. शिवजी उर्फ श्योजीराम पुत्र जगदीश
11. प्रेम पुत्री जगदीश
    समस्त जाति जाट निवासीगण मेवदाकलां तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

———प्रफोर्मा प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 53, 88, 188,209 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बरः– राजस्व वाद 1882/2017(2017/01497)
निर्णय दिनांकः– 24.01.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकडी बहाजिरी श्री सांवरलाल चौधरी वकील वादी व पैरोकार सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी हाजिर मुद्दावलाह पेश कर हुक्म दिया जाता है वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 53, 88, 188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम का वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाता है तथा वादग्रस्त आराजी ग्राम मेवदाकलां तहसील केकड़ी के खाता संख्या नया पुराना 900–307 के खसरा संख्या 2361, 2362, 2363 किता 3 कुल रकबा 1.92 हैक्टर पर वादीगण को 1/4, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 11 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार केकडी आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद की कार्यवाही करें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात में वादी के हिस्से की भूमि को बैचान, बक्षीस, रहन, अन्तरण, हस्तान्तरण नही करने तथा

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

…ा ही वादी के संयुक्त कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करें। खर्चा …फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

चीज ....मुबलिक...बाबत्..................................

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..को अदा करे

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.01.2023 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
ओहदा
उपखण्ड … केकड़ी (अजमेर)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान.			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर.			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक	——	——	मुतफरिक	——	——
मीजान	0	0	मीजान	0	0

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner